रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-299/2026/1961/22-2-2024-17(767)/2017

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र (बन्दी संख्या-15111) पुत्र श्री तुलसीराम धीमर, निवासी- ग्राम-गढ़ी नगला हाल सुल्तानगंज खरेटा, थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद वर्तमान में पता ग्राम-बिचौला, थाना-कलान, जनपद-शाहजहांपुर, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-164/199 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० ए०डी०एस०जे०-2, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा यथावत रखा गया है, बंदी द्वारा दिनांक 11.05.2023 तक अपरिहार 23 वर्ष, 08 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 06 माह, 20 दिन की भोगी गयी सजा एवं अच्छे जेल आचरण को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-299/2026/1961(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/शाहजहांपुर।

3- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद/शाहजहांपुर।

4- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-161/2022 सुरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in